न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 25 / 2019

सीताराम पुत्र हरिशचन्द्र, जाति जाट निवासी नाटास तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील गुढा गोडजी, जिला झुंझुनू

— रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.10.2018 उनवानी सरकार बनाम सीताराम
अं0 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मु0 नं0 159 / 18
बअदालत नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी।

उपस्थितिः—

1. श्री अरविन्द कुमार सैनी, एडवोकेट ---- ------------ अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक -------------- रेस्पोंडेंट की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक — 28.08.2019

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.10.2018 उनवानी सरकार बनाम सीताराम अं0धारा 91 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बअदालत नायब तहसीलदार गुढा के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि — अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किये बिना एवं बिना विवेचना किये, बिना माईन्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 11.10.2018 पारित किया है जो स्पीकिंग आर्डर नहीं होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत के निर्णय में अपीलार्थी के जवाब का कोई विवरण अंकित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही जिस पटवारी की रिपोर्ट पर प्रारम्भ की गई है उसमें केवल मात्र पक्का निर्माण होना अंकित किया गया है, लेकिन उसमें अंकित नहीं है कि क्या पक्का निर्माण है। उक्त रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर पटवारी द्वारा तैयार की गई है। भूमि खसरा नंबर 321 पर सम्वत 2075 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है, उपरोक्त भूमि की किस्म आवासीय है। उक्त भूमि में पुख्ता मकानात बनाकर अपीलार्थी तथा उसका परिवार पूर्वजों के समय से ही आबाद है। मौके पर अपीलांट का विद्युत कनेक्शन है जिसके बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी का स्वत्व व कब्जा मानकर अनापति प्रमाण पत्र जारी हुये हैं जिससे साबित है कि अपीलांट का पुराना व वैध कब्जा है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, वह गलत है, पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थी के विरोधी

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करके अपीलार्थी के विपरित झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है। अपीलार्थी को पटवारी से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया है। उक्तानुसार बिना अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है जो निरस्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी का निर्णय दिनांक 11.10.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि– प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही जिस पटवारी की रिपोर्ट पर प्रारम्भ की गई है उसमें केवल मात्र पक्का निर्माण होना अंकित किया गया है, लेकिन उसमें अंकित नहीं है कि क्या पक्का निर्माण है। उक्त रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर पटवारी द्वारा तैयार की गई है। भूमि खसरा नंबर 321 पर सम्वत 2075 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है, उपरोक्त भूमि की किस्म आवासीय है। उक्त भूमि में पुख्ता मकानात बनाकर अपीलार्थी तथा उसका परिवार पूर्वजों के समय से ही आबाद है। मौके पर अपीलांट का विद्युत कनेक्शन है जिसके बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी का स्वत्व व कब्जा मानकर अनापति प्रमाण पत्र जारी हुये हैं जिससे साबित है कि अपीलांट का पुराना व वैध कब्जा है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, वह गलत है, पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थी के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करके अपीलार्थी के विपरित झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण माना भी जाता है तो भी भूमि आबादी में परिवर्तित की जा चुकी है। इसलिए अदालत मातहत का धारा 91 एल.आर.एक्ट को नोटिस क्षेत्राधिकार से बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित फोरमेट में नाम–पत्ते अंकित कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट के पुराने कब्जे एवं भूमि आबादी में नहीं होने के अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी का निर्णय दिनांक 11.10.2018 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांट द्वारा राजकीय गै0मु0 जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है। अतःअपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी के निर्णय दिनांक 11.10.2018 का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि की किस्म आबादी है। उक्त भूमि में पुख्ता मकानात बनाकर अपीलार्थी तथा उसका परिवार पूर्वजों के समय से ही आबाद है। मौके पर अपीलांट का विद्युत कनेक्शन है अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी ने उक्त तथ्यों के संबंध में अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी का निर्णय दिनांक 11.10.2018 मुकदमा नंबर 159/18 उनवानी सरकार बनाम सीताराम निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर, पूर्ण विवेचना के साथ पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.8.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू